>

Title: Regarding pre-poll alliance by political parties-laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): देश में विभिन्न राजनैतिक दल चुनाव से पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और इस दौरान आम जनता के साथ वायदा/प्रतिबद्धता करते हुए चुनाव में विजय पाने के बाद अपने निजी हित में गठबंधन को दरकिनार करते हुए दूसरे राजनैतिक दल, जिनके साथ चुनाव के दौरान उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धी रहती है, के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं, जो जनता के साथ घोर धोखाधड़ी है । प्राय: यह देखने में आया है कि भारत में राजनीतिक दलों की मूल प्रवृत्ति गठबंधन को कायम रखने की कम और निजी हित में उसे तोड़ने की ज्यादा रही है, जो आम जनता के साथ विश्वासघात है ।

इस संबंध में, मैं विशेषत: महाराष्ट्र राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां भाजपा व शिवसेना ने आपसी गठबंधन करके विधान सभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने चुनाव के पश्चात भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एन.सी.पी., जो चुनाव में उसके कड़े प्रतिद्वंदी दल थे, के साथ गठबंधन सरकार बना ली । इस तरह के अन्य उदाहरण देश के अन्य राज्यों में भी समय-समय पर सामने आ चुके हैं ।

अत: इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि देश के व्यापक हित में चुनाव से पूर्व जो भी राजनैतिक दल आपस में गठबंधन करके चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराने के पश्चात ही लोगों के सामने चुनाव में हिस्सा लेने हेतु जाना चाहिए और चुनाव के पश्चात यदि कोई भी राजनैतिक दल गठबंधन को दरकिनार करते हुए किन्हीं अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए अथवा उनके दलों के मान्यता रद्द की जानी चाहिए ।